कार्यालय- कार्य आयोजना शहडोल, (म.प्र.) 484001

: 07652-245189 (O), 245331(R) Email- wpo.sdl@mp.gov.in

क्रमांक / स्टेनो / 2022 / 226 शहडोल, दिनांक :03/03/2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
सतपुडा भवन
भोपाल

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 25/01/2022 के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्र/संरक्षण/पीए/624 भोपाल, दिनांक 28.02.2022.

––00––

संदर्भित विषयांतर्गत निवेदन है कि, आपके संदर्भित पत्र द्वारा निर्देशित किया गया है कि,*"माननीय राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल मध्य क्षेत्र, शाखा–भोपाल के O.A. क्रमांक/83/2021 (CZ) महेश पाल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन"* के आदेश दिनांक 25.01.2022 के पालनार्थ प्रकरण से संबंधित क्षेत्र का भ्रमण कर वास्तविकता आधारित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये।

आपके निर्देश के पालन में दिनांक 02.03.2022 को पन्ना जिले के अंतर्गत आने वाले प्रकरण से संबंधित स्थल का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना एवं कलेक्टर पन्ना हमराह थें। निरीक्षण प्रतिवेदन निम्नानुसार सम्प्रेषित हैः–

1. स्थल पर कच्चा मार्ग निर्माण पाया गया जिसकी चौड़ाई विभिन्न स्थलों पर अलग–अलग थी औसतन 4 से 6 मी. चौड़ाई एवं लगभग 1200 मी लम्बाई का मार्ग मौके पर बना हुआ पाया गया है।

2. मार्ग तैयार करने में मौके पर झाड़ की सफाई की गई है और कुछ वृक्ष जो मिश्रित प्रजाति के है, सडक के दोनो ओर गिरे हुए पाये गये चूकि मौके पर सड़क पर मिट्टी डली हुई है ऐसी दशा में गिरे हुए और हटाये हुए वृक्षों के जमीन सतह से लगने वाला हिस्सा (ठूठ) देखा जाना संभव नही है। मार्ग के दोनो ओर झाड़िया एवं वृक्ष पडे हुए पाये गये है उनके कुछ भाग मिट्टी में दबे है मौका देखने में ऐसा लगता है कि मार्ग तैयार करने के लिए सफाई कार्य किया गया है और सफाई करने में लकडियों और झाड़ियों को मौके से हटा कर किनारें रखा गया है। मौके पर ठूठ या कटाई के प्रमाण नही है। कई वृक्ष जड़ सहित मार्ग किनारे पड़े हुए है जिसमें यह संभावना है कि मार्ग बनाते समय गिरे पडे वृक्षो को मौके से हटा कर किनारे कर दिया गया है।

3. मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 की धारा 02 (ख) में वृक्ष की परिभाषा दी गई है जो निम्नानुसार हैः–

- *"वृक्ष से अभिप्रेत है कोई ऐसा काष्ठीय पौधा जिसकी शाखाएँ तने या कार्य से निकलती हैं तथा जो तने या काम पर आलंबित हों और जिसके तले या काय का व्यास भूमि तल पर 30 से.मी. से कम न हो तथा जिसकी उँचाई भूमि तल से 2 मीटर से कम न हो"*

उपरोक्त परिभाषा के आधार पर वृक्ष का व्यास यदि 30 से.मी. है तो उसकी भू–सतह पर गोलाई ('Perimeter' या परिधि) 94 से.मी. आती है। मौके पर किनारे यथासंभव देखे गये लगभग समस्त झाड़िया व वृक्ष इस गोलाई से कम के है।

4. मौके पर कलेक्टर पन्ना और उनके अधिनस्थ एस.डी.एम राजस्व से चर्चा हुई उनके द्वारा यह बताया गया कि मौके पर वृक्षो की कटाई के लिए अनुमति नही दी गई है मार्ग निर्माण के लिए झाड़ियों की सफाई की गई हे और गिरे हुए और जड़ से उखडे हुए वृक्षों को हटा कर किनारें किया गया है तथा वृक्षों की कटाई नही की गई है। प्रमाणस्वरूप मार्ग के बीच में कई वृक्ष अभी भी सुरक्षित खडें है। इन खडें हुए वृक्षो का फोटोग्राफ मौके पर लिया गया है। जिला प्रशासन ने यह भी मौके पर सूचित किया की मार्ग के दोनो ओर गहन वृक्षारोपण कर ग्रीनबेल्ट तैयार किया जाना है जिसमें लगभग 10 हजार पौधो का रोपण किया जायेगा, यहॉ पर नगरबासियों के स्वास्थ्यवर्धन के उद्देश्य से एक हरा–भरा क्षेत्र विकसित किये जाने की योजना है।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. मौके पर वृक्ष को काटे जाने के प्रमाण नही है, विकास कार्यो के तहत कच्चा मार्ग निर्माण में झडियों और गिरे हुए वृक्षों को हटाया गया जो मौके पर किनारे पडे हुए है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा बताया गया कि कटाई की अनुमति नही दी गई है और न ही मौके पर कटाई की गई है इसी कारणवश मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 कें अंतर्गत किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गई है।

2. चूंकि विकासकार्य जिला प्रशासन एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी पन्ना के संज्ञान में है और मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 की धारा 05 के तहत वे स्वयं **"वृक्ष अधिकारी"** है अतः उनसे यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह स्वयं यह सुनिश्चित करेंगें कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन न हों।

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी पन्ना मौके पर पडे हुए वृक्ष प्रजाति की सूची मय गोलाई के तैयार करा कर उनकी बोंगाई (Logging) करा कर परिवहन करायें ताकि पडी हई काष्ठ का उपयोग जलाऊ अथवा जनहित कार्य में किया जा सकें।

4. स्थल निरीक्षण में यह स्पष्ट पाया गया कि, जिला प्रशासन द्वारा विकास कार्य के तहत झाड़ियों एवं वृक्षों को मौके से हटाकर मार्ग के किनारे रखवाया गया है, यह कार्यवाही सदभावनापूर्ण है।

5. जिला प्रशासन पन्ना से उनके पक्ष का प्रतिवेदन चाहा गया है जो अभी अप्राप्त है।

संलग्नः मौके के फोटोग्राफ

(राजीव कुमार मिश्रा)
भा.व.से
मुख्य वन संरक्षक
कार्य अयोजना अधिकारी
शहडोल (म0प्र0)